यता को पुनः आरम्भ करने के लिए कोई कदम उठा रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं, श्रीमान् । केवल सहायता के स्वरूप में परिवर्तन किया गया है, जिस रूप में कृषि विश्वविद्यालयों को सहायता दी जाती है । उसकी जगह उस तरह सहायता दी जाएगी जैसे सामान्य विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध महाविद्यालयों को दी जाती है ।

(ख) सहायता के स्वरूप में इसलिए परिवर्तन किया गया है, क्योंकि राजस्थान सरकार इस विश्वविद्यालय को एक पृथक कृषि विश्वविद्यालय में बदलने के लिए सहमत नहीं हुई । सहायता का स्वरूप बदलने से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विश्वविद्यालय को दी जाने वाली राशि में भारी कमी आयेगी । इस प्रकार की कमी से विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा अथवा नहीं पड़ेगा, वह राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता की पर्याप्तता पर निर्भर करेगा ।

(ग) सहायता के स्वरूप को तभी बदला जा सकता है, यदि राज्य सरकार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा ऐसे विश्वविद्यालयों के लिये अपनाये गये आदर्श अधिनियम के अनुसार इस विश्वविद्यालय को एक कृषि विश्वविद्यालय के रूप में गठित करेगी और चलायेगी ।

Review of Policy Regarding Allotment of Government Accommodation to House Owning Employees

3158. SWAMI INDERVESH : Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state :

(a) whether Government's present policy to provide accommodation to Central Government employees is inconsistent as those who are in dire need of accommodation are left out whereas those who are having their own houses in Delhi, get accommodation which results in sub-letting of the accommodation by the later category ;

(b) if so, whether Government propose to change the present policy of allotment ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING (SHRI MOHAMMED USMAN ARIF) : (a) There is no inconsistency with regard to allotment of general pool accommodation to Central Government employees who own houses in Delhi. The allotment Rules provide for imposition of penalties in cases where charge of subletting of Government accommodation is proved.

(b) No, Sir.

(c) Central Government employees who are having their own houses have been made eligible for general pool accommodation on the basis of the recommendations of the National Council (JCM) which were accepted by the Government.

तिलहन बैंकों की स्थापना

3159. श्री कृष्ण प्रताप सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का तिलहन बैंकों को स्थापित करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां पर इन बैंकों को स्थापित किया जायेगा ; और

(ग) तिलहनों में आत्म निर्भरता प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड ने 20-7-84 को हुई अपनी बैठक में क्षेत्रीय तिलहन बैंक स्थापित करने के एक प्रस्ताव को सिद्धान्त रूप में स्वीकृति दी । प्रस्ताव के ब्यौरे बोर्ड द्वारा अभी तैयार किए जाने हैं ।

(ग) तिलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए

जा रहे विभिन्न कदमों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए उठाए जा रहे विभिन्न कदमों को दर्शाने वाला विवरण

तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये भारत सरकार तिलहन विकास हेतु केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही है। तिलहन उत्पादन को और बढ़ाने की दृष्टि से केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं/परियोजनाओं को पुनर्रोन्मुखी बनाया गया है और एक राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना में इसका विलय कर दिया गया है। राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना, जो 1984-85 के दौरान क्रियान्वित की जा रही है, 1984-85 के दौरान 38 करोड़ रुपए का कुल व्यय स्वीकृत किया है। कार्यक्रम की सारी वित्त व्यवस्था भारत सरकार द्वारा की जा रही है।

इस परियोजना के तहत उपलब्ध कराए जा रहे प्रोत्साहनों और सुविधाओं में निम्नलिखित शामिल है :—

(1) बीज उत्पादन के लिए भारी व्यय करना, बुनवत्ता बीजों, वनस्पति संरक्षण उपकरणों, रसायनों का रियायती दरों पर वितरण करना और प्रचालनात्मक खर्चों पर राजसहायता देना ;

(2) बीज/उर्वरक मिनिकिटों का निःशुल्क वितरण ;

(3) विशेष परियोजना के तहत मूंगफली की फसल के लिए फास्फेटयुक्त उर्वरकों और जिप्सम का रियायती दरों पर वितरण करना ;

(4) उन्नत खेती उपस्करों का रियायती दरों पर वितरण करना ;

(5) विशेष परियोजनाओं में मूंगफली की फसल के लिए छिड़काव सेटों और सिंचाई सुविधाओं हेतु राजसहायता ;

(6) बड़े पैमाने पर खेतों में प्रदर्शन करना ; और

(7) परियोजना और विपणन सहायता के क्रियान्वयन और प्रबोधन हेतु संगठनात्मक ढांचे को मजबूत बनाना ;

इसके अतिरिक्त केरल और अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में क्रमशः 3434 हैक्टार और 940 हैक्टार क्षेत्र पर रेड आयल पाम बागान का एक कार्यक्रम भी शुरू किया गया है।

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड की तिलहन परियोजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड, आदानों की आपूर्ति, प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण, सामकारी मूल्यों पर अधिप्राप्ति और तिलहनों का परिसंस्करण और विपणन व्यवस्था करके सहायता उपलब्ध है।

New Sugar Mills for Maharashtra

3160. SHRI J.S. PATIL : Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to refer to reply given to Starred Question No. 213 on 12 March, 1984 regarding new sugar mills for Maharashtra and state :

(a) whether the review regarding progress of implementation of licences already issued to start new sugar factories is complete ;

(b) if so, the findings of the same ; and

(c) if not, the specific reasons therefor, and when the same is likely to be completed ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF ELECTRONICS AND IN THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (DR. M.S. SANJEEVI RAO) : (a) to (c). The Government has already made a review and has observed that new licences have gone to such States